राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (65) वन/2022 जयपुर, दिनांकः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.1409 ha forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil - Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan) (Proposal No. - FP/RJ/Approach/149575/2021)

संदर्भः– आपका पत्रांक एफ. 14(515/44)2021/एफसीए/प्रमुवसं/935 दिनांक 05.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil - Nadabai, District – Bharatpur हेतु 0.1409 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.06.2022 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक एफ. 14(515/44)2021/एफसीए/प्रमुवसं/935 दिनांक 05.04.2024 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1409 ha forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil - Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan) (Proposal No. - FP/RJ/Approach/149575/2021) की विधिवत स्वीकृति एक वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

RajKaj Ref
6836360

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.04.30 13:57:26 IST
Reason: Approved

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्त्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ताा अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 09.06.2022 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. **आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना का दायित्व विभाग/संबंधित संस्था का होगा।**

भवदीय,

(मोनाली सेन)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या सी–405 एवं सी–406, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
6. प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा रिटेल क्षेत्रीय 3–ए–5, रंगबरी मैन रोड, तलबडी, कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, वन

RajKaj Ref
6836360

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.04.30 13:57:26 IST
Reason: Approved

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar